



UPHR010041022024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4, हरदोई।

सत्र वाद संख्या-974/2024

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम दिलीप उर्फ दिलीप कुमार यादव आदि

मुकदमा अपराध संख्या-435/2023

धारा-452, 323 सपठित 34, 308 सपठित 34,

504, 506 भा०दं०सं०

थाना- माधौगंज, जिला हरदोई।

दिनांक-13.07.2026

1. पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्तगण दिलीप उर्फ दिलीप कुमार यादव, मेवालाल उर्फ मेवालाल यादव एवं कुलदीप उर्फ कुलदीप कुमार यादव उपस्थित हैं। वादी मुकदमा सुखराम भी उपस्थित है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही नियत है। पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांकित 01.05.2026 दाखिल है। माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश दिनांकित 08.05.2026 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।
2. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 01.05.2026 का सादर अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने उपरोक्त आदेश में सत्र परीक्षण संख्या-974/2024, मुकदमा अपराध संख्या-435/2023, अंतर्गत धारा-308, 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना माधौगंज, जिला हरदोई से संबंधित आपराधिक वाद के आरोप पत्र दिनांकित 06.12.2023 को निरस्त कर दिया गया है।
3. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांकित 01.05.2026 के अनुपालन में सत्र परीक्षण संख्या-974/2024, मुकदमा अपराध संख्या-435/2023, अंतर्गत धारा-308, 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना माधौगंज, जिला हरदोई से संबंधित वाद की कार्यवाही को अपास्त/समाप्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(योगेन्द्र चौहान)

दिनांक-13.07.2026

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4,
हरदोई।

जे०ओ० कोड-यू०पी० 1608